न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 43/2025 बउनवानी शहीद मोहम्मद **बनाम** तहसीलदार सवाईमाधोपुर पुत्र श्री जावेद मोहम्मद नि0 राजबाग शहर स0मा0 हाल नि0 साहूनगर स्कूल के पीछे द्वार श्री सैयद आरिफ अली

GCMS No-2025/ 138

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *ग्राम डांगरवाडा पटवार हल्का रामपुरा के खाता संख्या 80 नया एवं पुराना खाता संख्या 87 ख0न0 13,20, 22,23,31,32,63 कुल किता 7 की जमाबन्दी ,नामा0 सख्या 11 दिनांक 14.9.2025 एवं नामा0 संख्या 887 दिनांक 11.1.2025 खुलवाने हेतु प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित सूचना* " तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः आरटीआई/2025/85 दिनांक 18.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.2025 मे चाही गयी सूचना नकल प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होने के कारण उक्त सूचना हेतु नियमानुसार नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 55 दिनांक 1.5.2025 लिखा जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना नकल प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होने के कारण उक्त सूचना हेतु नियमानुसार नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उक्त सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.08.29 17:12:48 IST Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner